

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:-25.11.2021

थाना बरौर

दिनांक 24.11.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 12/19 धारा 354 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त रजनीश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

धारा 151 दं0प्र0सं0

दिनांक 24.11.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना गजनेर 02, शिवली 01, अकबरपुर 03, रसूलाबाद 01, मंगलपुर 01, डेरापुर 01, सिकन्दरा 03 अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।